तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-8.22	आज पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी के वकील अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन किया गया कोविड को भी आज नहीं आये। वहस प्रेरित होता है कि वादी वाद चलाना ही नहीं चाहते हैं। पत्रावली में वादी ने 23.1.19 के बाद प्रतिवादीगण की तामील हेतु तलबाना पेश नहीं किया। जवाब वादी को तलबाना पेश करने हेतु बार-बार अवसर दिये गये हैं। अतः वादी का वाद अदम रुजूई अदम पालना के आदेश 9 नियम 2 सि०प्र०सं० में [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रा० [illegible] के बाद [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.07.20 12:29:23 IST
Reason: SelfAttested